संख्या:66/2026/928/कृशिअ-67-1002(002)/6/2025

C.No. 1916043

प्रेषक,

विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
अयोध्या ।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग **लखनऊः 12 मई, 2026**

विषयः-आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के मुख्य परिसर पर एग्री टूरिज्म सेन्टर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-01/पी0एस0 वी0सी0/2026/654, दिनांक 07.04.2026 एवं अधिशासी अभियंता(सि0),आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के पत्रांक-05/नि0नि0/2026/51, दिनांक 23.04.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या:39/2025/3337137/कृशिअ-67-1002(002)/6/2025, दिनांक 09.04.2026 द्वारा आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के मुख्य परिसर पर एग्री-टूरिज्म सेन्टर की स्थापना हेतु आगणित लागत रू.358.62 लाख की धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रश्नगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 150.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु अनुमोदित लागत रू.358.62 लाख के क्रम निविदित्त लागत रू0 357.78 लाख की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख के सापेक्ष परियोजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. शासनादेश संख्या:39/2025/3337137/कृशिअ-67-1002(002)/6/2025, दिनांक 09.04.2026 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22.03.2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त, इसका डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर सक्षम स्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य के (टेण्डर कॉस्ट) अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्ते पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागतसे अधिक धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचतकी धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

4. प्रश्नगत परियोजना की लागत को निविदा में प्रात मूल्य की प्रति के साथ द्वितीय (टेण्डर कॉस्ट) किश्त की धनराशि की मांग की जायेगी।
5. प्रायोजना प्रस्ताव आगणन में कन्टीजेन्सी मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर लागत आंकलित की गयी है।
7. विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो तथा जी०एस०टी० का भुगतान वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा। प्रायोजना का विस्तृत आगणन डी0पी0आर0 (में दरें, उ०प्र० लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0-272 कैम्प मु०अभि० (भवन/(2023, दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0-294 कैम्प मु०अभि० /(भवन)2023, दिनांक 26 अक्टूबर, 2023/इंटीग्रेटेड एस०ओ०आर० 2024 के अनुसार एवं वर्तमान बाजार भाव की दरों विश्लेषण के अनुसार की गयी है। बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा।
8. विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय, क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
9. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था / विश्वविद्यालय का होगा।
10. प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
11. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य कराये जाने से पूर्व, विद्युत संयोजन हेतु विद्युत विभाग से विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाय तथा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाय, जो वास्तविकता के आधार पर देय होगा।
12. प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित कतिपय कार्यमदे यथा ट्रान्सफार्मर लाइट एण्ड फिक्सर्स आदि कोटेशन बा/जार दर पर प्रस्तावित की गयी हैं, जिसके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर कोटेशन प्राप्त करें। अतः विश्वविद्यालय कार्यदायी / संस्था से अपेक्षित है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार परकिया जाय।
13. प्रायोजना में प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत मानते हुये किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि विश्वविद्यालय के सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
14. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की (डुप्लीकेसी) स्वीकृति से पूर्व विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
15. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जहाँ तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि केलिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशिका आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
16. स्वीकृत धनराशि किसी भी दशा में बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि आवश्यकता के अनुसार आहरित कर स्वीकृत कार्यों पर ही व्यय की जाएगी।
17. स्वीकृत धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिसमें ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।
18. निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा इस संबंध मेंसमयसमय - पर निर्गत तसंबंधी शासनादेशों तथा नियमों के अनुसार ही किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

19. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अवशेष धनराशि को कोषागार में सुसंगत लेखाशीर्षक के अंतर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाएगी।
20. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समयसमय परजारी - येगा।आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जा
21. उक्त अनुदान के देयक कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के कुलपति और वित्त नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगा। देयक को जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा और सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।
22. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-04/2026/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित प्राविधानों/दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 4415802772809 आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के मुख्य परिसर में एग्री टूरिज्म सेन्टर की स्थापना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक-28-03-2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज,
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज
3. जिलाधिकारी, अयोध्या/ कोषाधिकारी, अयोध्या ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ ।
5. वित्त नियंत्रक, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या ।
6. सचिव, उ0प्र0, कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।